

आईटीएनएस-286 के माध्यम से आईडीएस, 2017 के अंतर्गत बैंकों द्वारा भुगतान स्वीकार न करने के संबंध में शिकायत

पत्र संख्या आरबी/सीआईआर/ओटीसी-आईडीएस/1404ए-भारतीय बैंक संघ, दिनांक 25-11-2016

हमें उपरोक्त विषय पर आरबीआई से 23 नवंबर, 2016 का पत्र प्राप्त हुआ है, साथ ही भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी का 10 नवंबर, 2016 का कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.142/8/2016-टीपीएल (भाग) भी प्राप्त हुआ है [प्रतिलिपि संलग्न (अनुलग्नक-ए और बी)]।

आरोप लगाया गया है कि बैंक अधिकारी यह कहते हुए भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं कि चूंकि आईडीएस, 2016 30-9-2016 को बंद हो गया है, इसलिए बैंक इस तिथि के बाद चालान स्वीकार नहीं कर सकते। कार्यालय ज्ञापन में कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के लिए संशोधित अनुसूची का उल्लेख किया गया है:

- (i) कर, अधिभार और जुर्माने की न्यूनतम 25% राशि 30-11-2016 तक चुकाई जानी है;
- (ii) (ii) कर, अधिभार और जुर्माने की 25% राशि 31-3-2017 तक चुकाई जानी है; और
- (iii) (iii) शेष राशि 30-9-2017 को या उससे पहले चुकाई जानी है।

तदनुसार, सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त समय-सारिणी को ध्यान में रखें तथा निर्देशानुसार आईडीएस, 2016 के अंतर्गत 30-9-2017 तक भुगतान स्वीकार करें तथा ऐसे मामलों में बैंकों को धन के स्रोत की तलाश नहीं करनी चाहिए। [कृपया इस संबंध में हमारे संलग्न परिपत्र (अनुलग्नक-सी) का संदर्भ लें]

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी शाखाओं को तदनुसार जागरूक करें।

■ ■